न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 103 / 2010

उनवान

1. लाड कंवर पत्नी मांगीलाल सिंह, (नाम तर्क)
2. गुमान सिंह पुत्र मांगीलाल सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम तिलाना, नसीराबाद

——वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम्

1. रतन सिंह पुत्र बचन सिंह फौत जरियें वारिसान
1/1. जय सिंह
1/2. लक्ष्मण सिंह
1/3. दशरथ सिंह
1/4. बन्ने सिंह
1/5. पप्पू सिंह
1/6. शम्भू सिंह पि0 रतन सिंह
2. ऐजन कंवर पत्नी उगम सिंह
3. भंवर सिंह पुत्र उगम सिंह
4. रघुवीर सिंह पुत्र उगम सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिलाना, नसीराबाद
5. भंवर कंवर पुत्री उगम सिंह पत्नी भैरो सिंह जाति राजपूत नि0 भवानजी खेडा, बिगोद जिला भीलवाडा
6. घीसू कंवर पुत्री उगम सिंह पत्नी महावीर सिंह नि0 सेंदरिया तह0 फागी, जयपुर
7. थोप कंवर पुत्री उगम सिंह पत्नी नाथू सिंह जाति राजपूत नि0 सया वाया मालपुरा, टोंक
8. हरि सिंह पुत्र सायर सिंह
9. मूल सिंह पुत्र सायर सिंह जाति राजपूत नि0 तिलाना, नसीराबाद
10. लक्ष्मी देवी पत्नी चन्दजी छबलानी जाति सिन्धी म0न0 280 खारीकुई, अजमेर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, नसीराबाद।

———प्रतिवादीगण :— 3 जरियें अधिवक्ता श्री एम0 जे0 राजकुमार
6 जरियें राज0 पैरोकार, शेष अनुपस्थित

(वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 व 136 भू राजस0 अधिनियम 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:36:38 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णय :: दिनांक :— ...20

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

...1 से 9 की पुश्तैनी खातेदारी आराजी ग्राम तिलाना, नसीराबाद में स्थित है जिसका ...रण निम्न प्रकार है :–

चौसाला जमाबंदी		वर्किंग जमाबंदी		हाल जमाबंदी	
खसरा नम्बर	रकबा	खसरा नम्बर	रकबा	खसरा नम्बर	रकबा
2090	41–10–00	2646 मिन	38–10–00	3399/4539	1.69
		2646 मिन	02–10–10	3404/4537	0.56
				3444	3.98
				3445	0.40
2300	0–12–0	2861	0–12–0	3517	0.10
2301	0–12–0	2862	0–12–0	3518	0.10

उक्त आराजी अंतिम चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2020–25में साबिक खसरा नम्बर 2090 रकबा 41–10–00 के खातेदार मदन सिंह पुत्र फूल सिंह 2/3 हिस्सा, बचन सिंह पुत्र चन्द्र सिंह, मांगीलाल सिंह पुत्र सुगन सिंह, कल्याण सिंह पुत्र विजय सिंह का 1/3 हिस्सा अंकन है। मदन सिंह, फूल सिंह की मृत्यु हो गयी है। जिनके वारिसान ने उक्त आराजी विक्रय कर दी है जो पुनः विक्रय के बाद प्रतिवादी संख्या 10 को बैचान कर दी गयी है। इस प्रकार 2/3 हिस्सा आराजी पर प्रतिवादी संख्या 10 का हिस्सा निहित है शेष 1/3 हिस्से पर बचन सिंह, मांगीलाल सिंह, कल्याण सिंह का अधिकार निहित है। बचन सिंह के वारिस प्रतिवादी सख्या 1 से 7 है। कल्याण सिंह के वारिस प्रतिवादी संख्या 8 व 9 है। मांगीलाल सिंह के वारिस वादीगण है। वादीगण का उक्त आराजी के 1/3 हिस्से के 1/3 हिस्से में अधिकार निहित है। साबिक खसरा नम्बर 2300 रकबा 0–12–0 व 2301 रकबा 0–12–0 के खातेदार बचन सिंह, मांगीलाल सिंह, कल्याण सिंह है। बचन सिंह के वारिस प्रतिवादी सख्या 1 से 7 है। कल्याण सिंह के वारिस प्रतिवादी संख्या 8 व 9 है। मांगीलाल सिंह के वारिस वादीगण है। वादीगण का उक्त आराजी के 1/3 हिस्से में अधिकार निहित है।

उक्त आराजी चौसाला जमाबदी के बाद के रेकार्ड वंर्किग व आधार जमाबंदी में मांगीलाल या उसके वारिसान के नाम दर्ज करने के बजाय अन्य खातेदार व उनके वारिसान के नाम दर्ज कर दी। अतः आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर पर मांगीलाल सिंह का हिस्सा पूर्व अनुसार वादीगण के नाम दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें सथायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 व 8 ने वाद में स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि मांगीलाल सिंह ने सम्वत् 2026 में अपने हिस्से की आराजी उगम सिंह पुत्र बचन सिंह को दे [illegible] उक्त आराजी तब से प्रतिवादी के पिता के कब्जे में रही है। उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा न[illegible] वाद सव्यय खारिज किया जावे। शेष प्रतिवादी प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:36:38 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र व जवाब दावे के आधार पर [illegible] कायम की गयी :–

1. आया वादीगण दावाकृत आराजी पर इन्द्राज दुरुस्ती व खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

–– वादी

2. आया वादी विरूद्व प्रतिवादी स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी है ?

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

-- वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश की व गुमान सिंह के मौखिक बयान दर्ज करवाये। अधिवक्ता प्रतिवादी ने भंवर सिंह व मोड सिंह के मौखिक बयान दर्ज करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 व 2 :-

उक्त तनकियात सिद्व करने का भार वादीगण पर था। आराजी मुतनाजा के चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2022-25 में खसरा नम्बर 2090 रकबा 41-10-00 मदन सिंह पुत्र फूल सिंह 2/3 हिस्सा, बचन सिंह पुत्र चन्द सिंह, मांगीलाल सिंह पुत्र सुगन सिंह, कल्याण सिंह पुत्र विजय सिंह 1/3 हिस्सा के नाम दर्ज थी। चौसाला खसरा नम्बर 2300 रकबा 0-12-0 व 2301 रकबा 0-12-0 बचन सिंह पुत्र चन्द सिंह, मांगीलाल सिंह पुत्र सुगन सिंह, कल्याण सिंह पुत्र विजय सिंह के नाम खातेदारी दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 2646 मदन सिंह पुत्र फूल सिंह 2/3 हिस्सा, बचन सिंह पुत्र चन्द सिंह, मांगीलाल सिंह पुत्र सुगन सिंह, कल्याण सिंह पुत्र विजय सिंह के नाम दर्ज थी। लेकिन वंर्किग खसरा नम्बर 2861 व 2862 में मांगीलाल सिंह पुत्र सुगन सिंह का नाम हटा दिया है। इसी प्रकार आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर में भी मांगीलाल सिंह व उसके वारिसान का नाम दर्ज नही है। जबकि पूर्व राजस्व अभिलेख में अन्य खातेदार के साथ मांगीलाल सिंह पुत्र सुगन सिंह का नाम भी आराजी मुतनाजा में दर्ज था। बंदोबस्त विभग को बिना किसर आदेश पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 3 का कथन है कि उक्त आराजी मांगीलाल सिंह ने सम्वत् 2026 में उसके पिता उगम सिंह को बैचान कर दिया था। किंन्तु प्रतिवादी द्वारा जो बैचाननामा पेश किया है वह एक सादे कागज मात्र पर है। साथ ही उक्त पत्र पर किसी भी आराजी के खसरा नम्बर व अन्य ब्योरा अंकित नही है। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य से उक्त बैचान को सत्यापित भी नही करवाय है। वादी संख्या 1 लाड कंवर मांगीलाल सिंह की पुत्री है। तथा लाड कंवर ने अपनी समस्त चल-अचल सम्पति वादी संख्या 2 गुमान सिंह पुत्र उगम सिंह के नाम जरियें पंजीकृत वसीयत की है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 उगम सिंह के पुत्र है अर्थात दोनो भाई है। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा वादी के कथनों का समर्थन किया है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि मांगीलाल सिंह ने वादी गुमान सिंह को गोद लिया है। साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि मांगीलाल सिंह के खाते में गुमान सिंह का नाम दर्ज कर दिया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नही है। उक्तानुसार वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। तनकी संख्या 1 व 2 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार वादी का वाद 'स्वीकार' किया जाता है। ग्राम तिलाना के हाल खसरा नम्बर 3517 रकबा 0.10 व 3518 रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि पर ऐजन कंवर पत्नी उगम सिंह, भंवर सिंह, रधुवीर सिंह पि0 उगम सिंह, रतन सिंह पि0 बचन सिंह 1/3 हिस्सा लाड कंवर पत्नी कल्याण सिंह 1/3 हिस्सा व गुमान सिंह पुत्र मांगीलाल सिंह 1/3 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 3399/4539 रकबा 1.69, 3404/4537 रकबा 0.56, 3444 रकबा 3.98, 3445 रकबा 0.40, पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:36:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

लक्ष्मी देवी पत्नी चन्द्रजी छबलानी 2/3 हिस्सा, ऐजन कंवर पत्नी उगम सिंह, भंवर सिंह, रधुवीर सिंह पि0 उगम सिंह, रतन सिंह पि0 बचन सिंह 1/9 हिस्सा लाड कंवर पत्नी कल्याण सिंह 1/9 हिस्सा व गुमान सिंह पुत्र मांगीलाल सिंह 1/9 हिस्सा को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय कर पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:36:38 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

लाड कंवर बनाम रतन सिंह

दावा बाबत :— 88, 188, राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 103/2010
पेश करने की दिनांक — 16.08.2010

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई प्रतिवादी एम0 जे0 राजकुमार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

वादी का वाद ''स्वीकार' किया जाता है। ग्राम तिलाना के हाल खसरा नम्बर 3517 रकबा 0.10 व 3518 रकबा 0.10 की आराजी पर ऐजन कंवर पत्नी उगम सिंह, भंवर सिंह, रधुवीर सिंह पि0 उगम सिंह, रतन सिंह पि0 बचन सिंह 1/3 हिस्सा लाड कंवर पत्नी कल्याण सिंह 1/3 हिस्सा व गुमान सिंह पुत्र मांगीलाल सिंह 1/3 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 3399/4539 रकबा 1.69, 3404/4537 रकबा 0.56, 3444 रकबा 3.98, 3445 रकबा 0.40, पर लक्ष्मी देवी पत्नी चन्द्रजी छबलानी 2/3 हिस्सा, ऐजन कंवर पत्नी उगम सिंह, भंवर सिंह, रधुवीर सिंह पि0 उगम सिंह, रतन सिंह पि0 बचन सिंह 1/9 हिस्सा लाड कंवर पत्नी कल्याण सिंह 1/9 हिस्सा व गुमान सिंह पुत्र मांगीलाल सिंह 1/9 हिस्सा को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—————— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 5 माह नवम्बर सन् **2020** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:36:38 IST
Reason: SelfAttested